

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 171/14

संस्थापन दिनांक:-18/03/14

फाईलिंग नं. 233504003992014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

गुड्डू उर्फ रोशन पिता कामूलाल उइके,
उम्र 20 वर्ष, निवासी पोही,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 452 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2014 को 03:00 बजे या उसके लगभग प्रार्थी का मकान ग्राम पोही थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी जैयाबाई को उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 02.03.2014 को दिन करीब 3 बजे उसके घर पर घरेलू काम कर रही थी। तभी अभियुक्त आया और उसे मादरचोद बहन की गंदी गंदी गालियां दिया और शंकर को बाहर निकालने का कहा। जिस पर उसने अभियुक्त से कहा कि उसका पति शंकर घर पर नहीं है गली मत दे तो अभियुक्त ने उसके घर के अंदर घुस कर उसके सिर के बाल पकड़कर हाथ मुक्के से मारपीट की जिससे उसे गला, पीठ पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 189/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 452 भा0दं0सं0

का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2014 को 03:00 बजे या उसके लगभग प्रार्थी का मकान ग्राम पोही थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी जैयाबाई को उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कारित किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 जैयाबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दो तीन साल पुरानी होकर ग्राम पोही स्थित उसके घर के पास की है। घटना के समय वह उसके घर के आंगन पर सफाई कर रही थी तभी अभियुक्त ने आकर पुरानी बात पर से उसके साथ गाली गलौच की थी तथा उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे ज्यादा मुंह चलाती है कहकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी।

7 साक्षी द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन द्वारा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को उसके साथ उसकी भाभी चंद्रकला भी बैठी थी तभी अभियुक्त घर के अंदर घुस गया था। स्वतः में साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त घर के आंगन में था।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट किया जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कारित किया गया हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 452 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को उपहति

हमला या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कारित किया। निष्कर्षतः अभियुक्त गुड्डू उर्फ रोशन को धारा 452 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)